Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 130-2019/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 2, 2019 (SRAVANA 11, 1941 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 2nd August, 2019

No. 30-HLA of 2019/69/11905.— The Punjab Electricity (Emergency Powers) Haryana Repeal Bill, 2019, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :–

Bill No. 30 HLA of 2019

THE PUNJAB ELECTRICITY (EMERGENCY POWERS) HARYANA REPEAL BILL, 2019

A

BILL

to repeal the Punjab Electricity (Emergency Powers) Act, 1941, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:–

1. This Act may be called the Punjab Electricity (Emergency Powers) Haryana Repeal Act, 2019. Short title.

2. The Punjab Electricity (Emergency Powers) Act, 1941, in its application to the State of Haryana is hereby repealed. Repeal of Punjab Act XIV of 1941.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The repeal of enactments which have ceased to be in force or have become obsolete or the retention whereof as separate, independent and distinct Acts is unnecessary, then, such enactments are to be repealed. After enactment of The Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003), The Punjab Electricity (Emergency Powers) Act, 1941 in reality has lost its meaning but is still shown on the Statute-Books. This law has become irrelevant and dysfunctional.

2. The Haryana Statute Review Committee under the Chairmanship of Mr. Justice Iqbal Singh (Retd.) constituted by State Government submitted its 1st Report in June, 2016. In its report Committee recommended repeal of 56 Acts. The Punjab Electricity (Emergency Powers) Act, 1941 also figures in that list.

3. The Punjab Electricity (Emergency Powers) Act, 1941 was enacted with an intent that State Government could take or assume possession and control of electric supply undertaking licensed under the provisions of Electricity Act, 1910 in the event of eventuality mentioned therein. After enactment of The Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003) supply of electricity is performed by State owned Distribution Companies and The Punjab Electricity (Emergency Powers) Act, 1941 has lost its significance in the present scenario. Hence the proposed Punjab Electricity (Emergency Powers) Haryana Repeal Bill, 2019.

MANOHAR LAL,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 2nd August, 2019.

R. K. NANDAL,
Secretary.

(प्राधिकृत अनुवाद)

2019 का विधेयक संख्या 30 एच०एल०ए०

पंजाब विद्युत (आपात–शक्ति) हरियाणा निरसन विधेयक, 2019
पंजाब विद्युत (आपात–शक्ति) अधिनियम, 1941, हरियाणा राज्यार्थ, को निरसित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम पंजाब विद्युत (आपात–शक्ति) हरियाणा निरसन अधिनियम, 2019, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. पंजाब विद्युत (आपात–शक्ति) अधिनियम, 1941, हरियाणा राज्यार्थ, इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 1941 का पंजाब अधिनियम XIV का निरसन।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

ऐसे अधिनियमों का निरसन जो लागू होने बंद हो गए हैं या अप्रचलित हो गए हैं या जो अलग, स्वतंत्र और अलग–अलग अधिनियमों के रूप में बनाए गए हैं, वे अनावश्यक है, तब, ऐसे अधिनियमों को निरस्त किया जाना है। विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 36) के कानून के बाद, पंजाब विद्युत (आपात–शक्ति) अधिनियम, 1941 का वास्तव में अर्थ खो गया है परन्तु अभी भी कानूनी किताबों पर दर्शाया गया है। यह कानून अप्रासंगिक और बेकार हो गया है।

2. राज्य सरकार द्वारा गठित श्री न्यायमूर्ति इकबाल सिंह (सेवानिवृत) की अध्यक्षता में हरियाणा कानून समीक्षा समिति ने जून, 2016 में अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की। अपनी रिपोर्ट में समिति ने 56 अधिनियमों को निरस्त करने की सिफारिश की। पंजाब विद्युत (आपात–शक्ति) अधिनियम, 1941 भी उस सूची में शामिल है।

3. पंजाब विद्युत (आपात–शक्ति) अधिनियम, 1941 को एक ऐसे प्रयोजन के साथ बनाया गया था कि राज्य सरकार विद्युत अधिनियम, 1910 में उल्लेखित संभावना की स्थिति में उपबन्धों के तहत अनुज्ञप्त विद्युत प्रदाय उपक्रम के आधिपत्य तथा नियंत्रण करने का अधिकार ले या ग्रहण कर सकें। विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 36) के अधिनियमन के बाद, राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कम्पनियों द्वारा बिजली की आपूर्ति की जाती है तथा पंजाब विद्युत (आपात–शक्ति) अधिनियम, 1941 वर्तमान परिदृश्य में अपना महत्व खो चुका है। इसलिए पंजाब विद्युत (आपात–शक्ति) हरियाणा निरसन विधेयक, 2019 प्रस्तावित है।

मनोहर लाल,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 2 अगस्त, 2019.

आर० के० नांदल,
सचिव।

57244—H.V.S.—H.G.P. Chd.